राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास — अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 38 / 2024

दायर दिनांक 29.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... वादी

बनाम्

1. कस्तूरी बाई पुत्री तुलसीराम जाति अहीर निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
2. भवानीलाल पुत्र तुलसीराम जाति अहीर निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
3. हीरीदेवी पत्नी स्व. तुलसीराम जाति अहीर निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित :— 01. पैरोकार तहसीलदार।
02. ओमप्रकाश शर्मा — विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :—

दिनांक :— 12 / 05 / 2026

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माहुपुरा पटवार मण्डल तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 38 / 1 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम व जाव प्रथम, आराजी नम्बर 40 / 1 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म बंजड़, आराजी नम्बर 103 / 1 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, आराजी नम्बर 39 / 1 रकबा 0.0243 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नम्बर 38 / 1 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम व जाव प्रथम, आराजी नम्बर 40 / 1 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म बंजड़, आराजी नम्बर 103 / 1 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, आराजी नम्बर 39 / 1 रकबा 0.0243 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम भूमि में खातेदारों की मौके पर काश्त नहीं हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगण को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नही किया गया। प्रतिवादीगण ने खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नहीं कर आराजी नम्बर 38/1 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम व जाव प्रथम, आराजी नम्बर 40/1 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म बंजड़, आराजी नम्बर 103/1 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, आराजी नम्बर 39/1 रकबा 0.0243 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम भूमि पर मौके पर अवैध खनन का गढ्ढा होकर पानी भरा हुआ हैं।

अतः प्रतिवादीगण को उक्त ग्राम माहुपुरा पटवार मण्डल तिलस्वां की आराजी नम्बर 38/1 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम व जाव प्रथम, आराजी नम्बर 40/1 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म बंजड़, आराजी नम्बर 103/1 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, आराजी नम्बर 39/1 रकबा 0.0243 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम भूमि से बेदखल किया जाकर उक्त वर्णित आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। विपक्षीगण को नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये जो शामील पत्रावली हैं। विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ओमप्रकाश शर्मा ने अधिकार पत्र प्रस्तुत व प्रतिवादीगणों की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में मौका पर्चा ग्राम माहुपुरा का प्रस्तुत किया जो प्रदर्श–1 हैं, तहसीलदार बिजौलियां को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो प्रदर्श–2 हैं, ग्राम माहुपुरा का नक्शा ट्रेस जो प्रदर्श–3 हैं, ग्राम माहुपुरा का खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी जो प्रदर्श–4 हैं, ग्राम माहुपुरा का खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी जो प्रदर्श–5 हैं, जीपीएस मेप का फोटो पेश किया जो प्रदर्श–6 हैं, जीपीएस मेप का फोटो पेश किया जो प्रदर्श–7 हैं, गूगल अर्थ का फोटो पेश किया जो प्रदर्श–8 हैं।

प्रकरण में वादी ने पी–डब्ल्यू– 1 बलराम पिता रामधन मीणा पेशा नौकरी पटवारी प0ह0 सुखपुरा के बयान कराये जाकर शामिल पत्रावली हैं।

पी–डब्ल्यू–1 बलराम पिता रामधन मीणा पेशा नौकरी पटवारी ने अपने बयान में लिखाया कि मेरे द्वारा ग्राम माहुपुरा पटवार मण्डल तिलस्वां की आराजी नम्बर 38/1 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 39/1 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 40/1 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 103/1 रकबा 0.1700 हैक्टेयर भूमि

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कस्तूरी बाई पुत्री तुलसीराम 1/3, भवानीलाल पुत्र तुलसीराम 1/3, हीरीदेवी पत्नी स्व. तुलसीराम 1/3 अहीर सा. तिलस्वां के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। जिसका निरीक्षण गिरदावर सा0 के साथ किया व पर्चा मौका बनाया गया मौका निरीक्षण करने पर जाहिर हुआ कि उक्त आराजीयात में अवैध खनन कर गढ्ढा होकर पानी भरा हुआ पाया गया। उक्त आराजीयात के खातेदार सद्भावी कृषक नहीं है। उक्त आराजीयात उपयोग कृषि से अन्य उपयोग होने एवं उपयोग हेतु आवश्यक विभागीय स्वीकृती खातेदारों के पास नही होने से खातेदारी निरस्त करने हेतु मौके की स्थिति अनुसार मौका पर्चा तैयार किया गया जो प्रदर्शानुसार हैं।

उक्त प्रकरण में साक्ष्य प्रतिवादीगण प्रस्तुत नहीं करने से प्रकरण को बहस में रखा गया।

प्रकरण में पैराकार सरकार एवं विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण की बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पैराकार सरकार एवं विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण की बहस पर मनन किया। उक्त प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं वादी के बयान के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

—: आदेश :—

अतः मौजा ग्राम माहुपुरा पटवार मण्डल तिलस्वां की आराजी नम्बर 38/1 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम व जाव प्रथम, आराजी नम्बर 40/1 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म बंजड़, आराजी नम्बर 103/1 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, आराजी नम्बर 39/1 रकबा 0.0243 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम भूमि से प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 12/05/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 38/2024

दायर दिनांक 29.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.......डिक्रीदार

बनाम्

1. कस्तूरी बाई पुत्री तुलसीराम जाति अहीर निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
2. भवानीलाल पुत्र तुलसीराम जाति अहीर निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
3. हीरीदेवी पत्नी स्व. तुलसीराम जाति अहीर निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।

.......मदयूनान

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 12/05/2026

डिक्री दिनांक : 12/05/2026

–: डिक्री :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार एवं विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री ओमप्रकाश शर्मा के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

अतः मौजा ग्राम माहुपुरा पटवार मण्डल तिलस्वां की आराजी नम्बर 38/1 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम व जाव प्रथम, आराजी नम्बर 40/1 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म बंजड़, आराजी नम्बर 103/1 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, आराजी नम्बर 39/1 रकबा 0.0243 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम भूमि से प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार बिजौलियां को पालनार्थ तहरीर जारी हो। डिक्री मूर्तिब की गई। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

नीज ....Nil..............................मुबलिग .... Nil ....
..............बाबत् .... Nil ....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....
..............फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ..
..............का अदा करे ।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12...... माह 05...... वर्ष
026 को जारी किया गया ।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
ाम्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
ाम्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
ाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
हनताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
र्चा गवाह			खर्चा गवाह		
ीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
ाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
ुनफरिक			मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां